संख्या– 22011/9/89–स्था0 (घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 17 अक्तूबर, 1994.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- विभागीय समिति को सूचित करने के प्रयोजन से रिक्तियों की गणना ।

मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के दिनांक 19.7.89 के का0ज्ञा0 संख्या– 22011/7/86–स्था0 (घ) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तारीख के बारे में उल्लेख किया गया है । इसमें बताया गया है कि जहां वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें कैलेण्डर वर्ष वार लिखी जाती हैं उन मामलों में निर्णायक तारीख वर्ष की पहली जुलाई तथा जहां यह वित्तीय वर्ष वार लिखी जाती है वहां निर्णायक तारीख वर्ष की पहली अक्तूबर निर्धारित की गई है । स्पष्टीकरण हेतु इस आशय के संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि क्या विभागीय पदोन्नति समिति को सूचित करने के लिए रिक्तियों की गणना को भी इस विभाग के 19.7.89 के का0ज्ञा0 में निर्धारित निर्णायक तारीख के समरूप वित्तीय वर्ष वार अथवा कैलेण्डर वर्ष वार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तित कर दिया जाए । इस मामले की जांच की गई और अब यह निर्णय लिया गया है कि पैनल तैयार करने के लिए मंत्रालय/विभाग विभागीय पदोन्नति समिति को रिक्तियां सूचित करने के उद्देश्य से रिक्तियों की गणना, उन मामलों में जहां वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें वित्तीय वर्ष वार लिखी जाती हैं, वित्तीय वर्ष वार और जहां वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें कैलेण्डर वर्ष वार लिखी जाती हैं, कैलेण्डर वर्ष वार करें ।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी संबंधितों को मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त स्थिति से अवगत करा दें ।

(ह0)
(के0पी0 पराण्डे)
निदेशक

सेवा में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को ।

प्रतिलिपि:-
1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ।
2. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग को उसके दिनांक 13.9.94 के पत्र सं0–एफ–10 (23)/83–ए0पी0 (डी) के संदर्भ में ।
4. सभी संघ शासित प्रशासन ।
5. रोजगार तथा प्रशि0 महानिदेशालय के अधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त, नई दिल्ली ।
7. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जे0सी0एम), 9 अशोक रोड, नई दिल्ली
8. सभी अनुभाग ।

स्थापना (घ) अनुभाग को 200 अतिरिक्त प्रतियां ।